राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3414/2023

पुना राम खुरखुरिया पुत्र श्री देवा राम खुरखुरिया, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी मुगदरा, तहसील रिया बड़ी, जिला नागौर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, नागौर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री सुशील सोलंकी।
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री हेमंत चौधरी, जी.सी.
श्री विशाल जांगिड़, उप जी.सी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

29/04/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक 10) के आदेश के विरुद्ध है, जिसके अनुसार, वर्ष 2022-2023 की रिक्तियों के विरुद्ध उप-प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसका परिणाम एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। इसके अलावा, वह प्रार्थना करता है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उस तिथि से पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाए, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया गया है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि जब वह व्याख्याता (हिंदी) के पद पर कार्यरत था, तो दिनांक 10.01.2020 (अनुलग्नक 1) के निर्णय/आदेश के अनुसार, उसे विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा धारा 341, 323 और 325/34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

2.2 याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के निलंबन के बारे में विभाग को प्रिंसिपल को विधिवत सूचित किया।

2.3 दिनांक 14.07.2020 को, याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 ('नियम 1958') के नियम 16 के तहत आरोप-पत्र जारी किया गया, जिसमें उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 एवं 325/34 के तहत अपराधों के लिए अपनी दोषसिद्धि के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया गया।

2.4 याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आरोप-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया।

2.5 हालांकि, 21.09.2020 के आदेश (अनुबंध 6) के तहत, याचिकाकर्ता की सेवाओं को 1958 के नियम 19 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी दोषसिद्धि के कारण समाप्त कर दिया गया था।

2.6 व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 10281/2020 प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 05.10.2020 के आदेश (अनुबंध 7) के तहत आरोपित समाप्ति आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

2.7. अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेड़ता के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दिनांक 24.02.2022 के आदेश (अनुबंध 8) के तहत, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 के तहत परिवीक्षा का लाभ दिया। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि इससे याचिकाकर्ता की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदन दिनांक 14.03.2022 (अनुलग्नक 9) के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय के दिनांक 24.02.2022 के निर्णय के बारे में सूचित किया।

2.8. इसके बावजूद, जब प्रतिवादियों ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की, तो याचिकाकर्ता के पदोन्नति के परिणाम को दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक 10) के आदेश के तहत सीलबंद लिफाफे में रखा गया।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बचाव किया गया है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 14.7.2020 को आरोप पत्र/आरोप ज्ञापन जारी किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 10.01.2020 को निर्णय पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को धारा 34 आईपीसी के साथ धारा 341, 323, 325 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया। इसलिए, दिनांक 21.09.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

3.1 दिनांक 21.09.2020 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने सी.डब्लू. संख्या 10281/2020 दायर किया, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 5.10.2020 के अंतरिम आदेश द्वारा दिनांक 21.9.2020 के समाप्ति आदेश पर रोक लगा दी है। उपरोक्त रिट याचिका अभी भी लंबित है और इस पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले की फाइल का भी अवलोकन किया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष अपनी दूसरी बार की गई पदोन्नति के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, यह ध्यान रखना उचित है कि इसे रोकना उसके खिलाफ पहले से ही आईपीसी की धारा 341, 323, 325/34 के तहत एफआईआर (सीआईएस) संख्या 1396/2014 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही का परिणाम है और इसलिए, किसी को भी इसके परिणाम पर विचार करना होगा।

6. यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को मूल रूप से ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, लेकिन अपीलीय अदालत ने उसकी भूमिका के साथ-साथ अपीलकर्ता की रियायत के बारे में एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, हालांकि दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सुधारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1958 के अधिनियम की धारा 4 और 12 का लाभ दिया और याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया।

7. इस संदर्भ में नरसी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में मेरे द्वारा दिए गए पहले के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। : सीआरएम ए-38-एमए-2017 (ओ एंड एम), 17.07.2023 को तय किया गया, जिसमें निम्नलिखित रूप से देखा / माना गया है: -

> "11. यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि अपराधियों को सीधे सजा सुनाने के बजाय परिवीक्षा पर रिहा करने से संबंधित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा सजा आदेश पारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
>
> 11.1 अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (संक्षेप में "अधिनियम") उचित मामलों में अपराधियों को आदतन अपराधी बनने से बचाने के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें जेलों में जाने के बजाय सुधरने का मौका दिया जा सके। आसान संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 4 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:
>
> > "अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4
> >
> > 4. कुछ अपराधियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने की न्यायालय की शक्ति।-
> >
> > (1) जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि मामले की परिस्थितियों, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र शामिल है, को देखते हुए उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तब, उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तुरंत कोई दंड देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे जमानतदारों के साथ या उनके बिना बांड पर हस्ताक्षर करने पर रिहा किया जाए, ताकि वह न्यायालय द्वारा निर्देशित तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के दौरान बुलाए जाने पर उपस्थित हो और दंड प्राप्त करे, और इस बीच शांति बनाए रखे और अच्छे आचरण का पालन करे: बशर्ते कि न्यायालय किसी अपराधी की ऐसी रिहाई का निर्देश तब तक नहीं देगा, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसका जमानतदार, यदि कोई हो, का एक निश्चित स्थान है उस

स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय, जिस पर न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है या जिसमें अपराधी उस अवधि के दौरान रहने की संभावना रखता है, जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश देने से पूर्व न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन आदेश दिया जाता है, तो न्यायालय, यदि उसकी राय में अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि अपराधी आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, उस अवधि के दौरान, आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहेगा, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें लगा सकता है, जो वह अपराधी के सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी से, रिहा किए जाने से पूर्व, जमानतदारों सहित या उनके बिना, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने तथा निवास, मादक द्रव्यों से परहेज या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करने के लिए बंधपत्र में प्रवेश करने की अपेक्षा करेगा, जिन्हें न्यायालय, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराधी द्वारा उसी अपराध की पुनरावृत्ति या अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को आदेश की शर्तों और निबंधनों को स्पष्ट करेगा और पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति प्रत्येक अपराधी, जमानतदारों, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराएगा।

11.2. उपरोक्त प्रावधान में परिकल्पित आपराधिक कानून के उद्देश्य और सिद्धांत, समाज के विरुद्ध अपराध करने से रोकने के अलावा, अन्य बातों के

साथ-साथ अपराधियों के सुधार पर केंद्रित हैं, जिसमें परिवीक्षा की अवधारणा निहित है। आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली अक्सर दंड को पुनर्वास के साथ संतुलित करने का लक्ष्य रखती है, जो अपराध करने वाले व्यक्तियों में सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता पर जोर देती है। आपराधिक कानून का लक्ष्य केवल दंड से आगे तक फैला हुआ है। जबकि दंड व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और उन्हें रोकने का काम करता है, वहीं आपराधिक व्यवहार में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करने के महत्व की बढ़ती मान्यता है। यह दृष्टिकोण अपराधियों के सुधार और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में फिर से एकीकृत होने की क्षमताओं पर जोर देता है। परिवीक्षा इस सुधार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली तंत्रों में से एक है। कुछ मामलों में, कुछ अपराधियों को कैद किए जाने के बजाय सामुदायिक पर्यवेक्षण में रहने के लिए कहा जा सकता है। ऐसी परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपराधी को कुछ शर्तों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कि परिवीक्षा अधिकारी को नियमित रूप से रिपोर्ट करना, परामर्श या उपचार कार्यक्रमों में भाग लेना और रोजगार या शिक्षा बनाए रखना। इसका उद्देश्य अपराधी को सहायता, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करना तथा उसके आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों का पता लगाना और सकारात्मक जीवन कौशल विकसित करना है। परिवीक्षा के दौरान प्रदान की गई गहन निगरानी और मार्गदर्शन अपराधी को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने और पुनः अपराध करने की संभावना को कम करने में मदद कर सकता है।

11.3. कुल मिलाकर, सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और कारावास के विकल्प का उपयोग करने की अवधारणा, जैसे परिवीक्षा पर रिहाई, आपराधिक न्याय के अधिक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है जो सकारात्मक परिवर्तन और व्यक्ति और समाज दोनों की समग्र बेहतरी की क्षमता को ध्यान में रखती है।

11.4 इस प्रकार परिवीक्षा को आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर परिकल्पित दंड का एक वैकल्पिक रूप भी कहा जा सकता है। मेरी राय में, परिवीक्षा देने के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों या परिवीक्षा पर रिहाई के संभावित लाभों के रूप में कहे जाने

वाले सिद्धांतों को नीचे के विद्वान सजा देने वाले न्यायालयों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए, बशर्ते कि एक योग्य मामला बनाया गया हो।

ए) अपराध की प्रकृति: व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और प्रकार महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हैं। कम गंभीर अपराध, जैसे कि अहिंसक अपराध या हिंसक लेकिन आत्मरक्षा या पहली बार किए गए अपराध, किसी व्यक्ति को परिवीक्षा के लिए अधिक योग्य बना सकते हैं।

बी) व्यक्तिगत न्याय: परिवीक्षा पर रिहाई का लाभ प्रदान करने से पहले, किसी को अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अपराध की प्रकृति और सकारात्मक बदलाव की संभावना। यह अपराधी की विशिष्ट आवश्यकताओं और विशेषताओं पर विचार करते हुए सजा देने की अनुमति देता है, जिससे अपराध के प्रति अधिक न्यायसंगत और आनुपातिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है।

सी) आपराधिक इतिहास: किसी अपराधी के पिछले आपराधिक इतिहास का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या उसके पास बार-बार अपराध करने का पैटर्न है। हिंसक या गंभीर अपराधों का इतिहास किसी व्यक्ति को परिवीक्षा दिए जाने की संभावना कम कर सकता है।

डी) पुनर्वास की संभावना: अपराधी की पुनर्वास की इच्छा और क्षमता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इस बात के प्रमाण हैं कि व्यक्ति अपने व्यवहार को बदलने, परामर्श में भाग लेने और अपनी आपराधिक गतिविधि के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उन्हें परिवीक्षा के लिए विचार किया जाना चाहिए।

ई) परिवीक्षा शर्तों का अनुपालन: परिवीक्षा पर दोषियों को विशिष्ट शर्तों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि परिवीक्षा अधिकारी को नियमित रूप से रिपोर्ट करना, आपराधिक गतिविधि से बचना और परामर्श या पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना। इन शर्तों का पालन करने की व्यक्ति की इच्छा और क्षमता परिवीक्षा के लिए उनकी

पात्रता को प्रभावित करेगी।

एफ) पुनरावृत्ति को रोकना:- कारावास के विकल्प के रूप में परिवीक्षा वास्तव में पहली बार अपराध करने वालों को आदतन या "कठोर" अपराधी बनने से रोकने में मदद कर सकती है। पुनर्वास और सहायता सेवाएँ प्रदान करके, परिवीक्षा का उद्देश्य आपराधिक व्यवहार में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों को संबोधित करना है, जिससे अपराधियों को अपने तरीके बदलने का मौका मिलता है।

जी) सामुदायिक संबंध: अपराधी के समुदाय से संबंधों, जैसे परिवार, रोजगार और स्थिर आवास का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मजबूत सामुदायिक संबंध एक सहायता प्रणाली का संकेत दे सकते हैं जो आगे की आपराधिक गतिविधि को रोकने में मदद कर सकता है।

एच) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम: समुदाय की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रिहा करने से नए अपराध करने या दूसरों को नुकसान पहुँचाने का कम जोखिम है या नहीं।

आई) भीड़भाड़ को कम करना:- परिवीक्षा जेलों और कारागारों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद कर सकती है। गैर-हिंसक अपराधी जो परिवीक्षा के लिए पात्र हैं, उन्हें सामुदायिक निगरानी में रखा जा सकता है, जिससे अधिक गंभीर अपराधियों के लिए सुधार सुविधाओं में जगह खाली हो जाती है।

जे) उत्पादकता को बढ़ावा देना:- अपराधियों को समुदाय में रहने और काम, शिक्षा या सामुदायिक सेवा जैसी उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति देकर, परिवीक्षा उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य बनाने में योगदान दे सकती है। यह बदले में, उन्हें राज्य पर बोझ बनने के बजाय करदाता के रूप में योगदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

के) दूसरा मौका और सुधार:- परिवीक्षा अपराधियों को कारावास से बचने और सुधार का अवसर प्रदान करके उन्हें दूसरा मौका प्रदान करती है। परामर्श, उपचार और पर्यवेक्षण के माध्यम से, अपराधी

अपने आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम कर सकते हैं।

एल) समाज में पुनः एकीकरण: परिवीक्षा अपराधियों को अपने परिवार, नौकरी और समुदाय के साथ संबंध बनाए रखने की अनुमति देती है, जो उनकी सजा के बाद उनके सफल पुनः एकीकरण की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। यह पुनरावृत्ति की संभावना को कम करता है और आपराधिक व्यवहार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है।

एम) पीड़ित को मुआवजा: न्यायालय अपराधी को परिवीक्षा पर रिहाई की पूर्व शर्त के रूप में प्रतिशोध या प्रायश्चित के रूप में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा (दंड के रूप में) देने के लिए भी कह सकता है।

एन) परिवीक्षा अधिकारी का मूल्यांकन: न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिकारी को अपराधी की पृष्ठभूमि, व्यवहार और पुनर्वास की क्षमता के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह के मूल्यांकन से परिवीक्षा के बारे में एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

ओ) न्यायिक विवेक: अंत में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह निर्धारित करना न्यायालय का विवेक है कि परिवीक्षा दी जाए या नहीं। यह सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुनर्वास, सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय के हितों को संतुलित करेगा। परिवीक्षा का लक्ष्य कारावास के विकल्प की पेशकश करना है जो सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखते हुए अपराधी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, इस प्रकार जो बढ़ावा दिया जाना चाहिए वह न केवल पुनरावृत्ति की रोकथाम है, बल्कि अपराधी को समाज में एक उत्पादक नागरिक के रूप में वापस लाने के लिए सुधारात्मक परिस्थितियाँ प्रदान करके पुनः एकीकरण भी है।

9. यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा किए जाने के बाद सेवा में वापस ले लिया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी अभी भी उसकी परिवीक्षा पर रिहाई को न्यायालय द्वारा अपनाए गए किसी प्रकार के दंडात्मक

दृष्टिकोण के रूप में मान रहा है। इस आधार पर, उन्होंने याचिकाकर्ता को आगे की पदोन्नति के लाभ के लिए विचार नहीं किया है, सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा पर रिहाई से याचिकाकर्ता की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. पदोन्नति किसी कर्मचारी को उसके भविष्य की प्रगति के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित करने का एक अभिन्न अंग है, इस आधार पर, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा किए जाने के कारण इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, वह भी सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश के साथ कि इससे याचिकाकर्ता की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि सजा देने के बजाय दोषी को परिवीक्षा पर रिहा करने की पूरी अवधारणा अपराधी को समाज में फिर से शामिल करने के लिए सुधारना है। आपराधिक न्यायशास्त्र में सजा मूल रूप से पुनरावृत्ति को रोकने और समाज के अन्य सदस्यों को अपराध में लिप्त न होने के लिए एक निवारक के रूप में तैयार की गई थी। सजा देने के बजाय दोषी को परिवीक्षा पर रिहा करने की अवधारणा के पीछे मुख्य उद्देश्य उसे सुधारने, जिम्मेदार और कानून का पालन करने वाला नागरिक बनने, समाज में एक उपयोगी और उत्पादक सदस्य के रूप में फिर से शामिल होने और पुनर्वास करने का अवसर देना है और साथ ही जेलों में भीड़भाड़ को रोकना और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन के रूप में राज्य पर बोझ को कम करना है।

11. परिणामस्वरूप, सुधारात्मक दृष्टिकोण को मुख्य सिद्धांत के रूप में रखते हुए तथा दोषसिद्धि के पश्चात परिवीक्षा पर दोषियों की रिहाई के लिए अपराधियों के पुनर्वास और सुधार के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में, विशेष रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देश के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा पर रिहाई से उसकी सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता को आगे पदोन्नति के लाभ के लिए विचार किए जाने का हकदार है तथा उसे उसके समकक्षों के समान माना जाना चाहिए।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को निर्देश के साथ किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें, जिसमें उप-प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की डी.पी.सी. का परिणाम शामिल है। यदि वह अंतिम चयनित उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्य पाया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार इसका लाभ दिया जाए।

13. कहने की जरूरत नहीं है कि यदि इस अभ्यास के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को योग्य पाया जाता है और पदोन्नत किया जाता है, तो वह उसी तिथि से अपनी योग्यता के अनुसार वरिष्ठता का हकदार होगा जिस तिथि से उसके समकक्षों को पदोन्नत किया गया था। उसे प्रशासनिक आदेश पारित होने की तिथि से सभी भावी वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे, लेकिन वह किसी भी पिछले वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा, जिसके नुकसान के लिए इस मामले में प्रतिवादियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

14. आवश्यक अभ्यास यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए, लेकिन उस तिथि से दो महीने से अधिक नहीं, जिस तिथि से याचिकाकर्ता तत्काल आदेश के वेब-प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।